

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27 (74) ग्राविवि/अनु-5/जीकेएन/न्यूनतम मजदूर दर./ 2014-15

जयपुर, दिनांक 05-04-2016

जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष,  
जिलादर निर्णायक समिति,  
जिला समस्त राजस्थान।

विषय:-श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षित करने के सम्बंध में।

प्रसंग:- श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.12.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रम विभाग द्वारा जारी प्रासांगिक अधिसूचना दिनांक 17.12.2015 (प्रति संलग्न) के आधार पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही विभिन्न केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं (नरेगा योजना को छोड़कर) में नियोजित अकुशल श्रमिक एवं अर्द्धकुशल श्रमिक (मेट) की न्यूनतम मजदूरी दर क्रमशः रूपये 197/- का रूपये 207/- पुनरीक्षित की जाती है।  
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(राजीव सिंह ठाकुर)  
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक एवं द पदेन उप सचिव (मो एवं मु), को वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
7. अधिशाषी अभियन्ता, (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
9. एमआईएस मैनेजर (बीएसआर साफ्ट) को विभागीय बीएसआर साफ्ट में दर पुनरीक्षित करने हेतु।
10. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता ग्रावि, 05/04/16

